

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2255]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2014/कार्तिक 14, 1936

No. 2255]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2014/KARTIKA 14, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2014

का.आ. 2827(अ).—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 के 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, श्री राकेश सिंह, संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, भारत सरकार को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन से, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2238(अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, मद संख्या (ग) (i) के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित मद संख्या तथा प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

- “(i) श्री राकेश सिंह
संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र)
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार”

[फा. सं. 14011/23/2014-दिल्ली-II]

ए. के. सक्सेना, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के सं. का.आ. 2239(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2014

S. O. 2827(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri Rakesh Singh, Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs, Government of India as a member of the New Delhi Municipal Council (NDMC), and for that purpose, makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 2238(E), dated the 5th September, 2014 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in paragraph 1, for item Number (c)(i) and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted namely:—

- “(i) Shri Rakesh Singh
Joint Secretary (UT)
Ministry of Home Affairs
Government of India”

[F. No. 14011/23/2014-Delhi-II]

A. K. SAXENA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 2239(E) dated the 5th September, 2014.